

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 389]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1973/कार्तिक 29, 1895

No. 389]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1973/KARTIKA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th November 1973

S.O. 699(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri Ved Rattan Mohan, a member elected to the Council of States from Uttar Pradesh before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 12th December, 1973 (Wednesday).

[No. 100/CS-UP/1/73(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1973

एस० एम० 699 (अ).—यतः, उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री वेद रतन मोहन की पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

(2069)

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 12 दिसम्बर, 1973 (बुधवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०सं०-उ०प्र०/1/73(1)]

S.O. 700(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/1/73(1), dated the 20th November, 1973:—

- (a) the 27th November, 1973 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 28th November, 1973 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 30th November, 1973 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 8th December, 1973 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 12th December, 1973 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-UP/1/73(2)]

एस० ओ० 700 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1/73(1), तारीख 20 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 27 नवम्बर, 1973 (मंगलवार) ;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 28 नवम्बर, 1973 (बुधवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 30 नवम्बर, 1973 (शुक्रवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा 8 दिसम्बर, 1973 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 12 दिसम्बर, 1973 (बुधवार) ;

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०सं०-उ०प्र०/1/73(2)]

S.O. 701(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10-30 A.M. to 3-30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/1/73(1), dated the 20th November, 1973,

[No. 100/CS-UP/1/73(3)]

एस० प्रो० 701 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसूचन में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1/73 (1), तारीख 20 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10-30 बजे पूर्वाह्न से 3-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1/733]

S.O. 702(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh, Legislative Assembly, Lucknow, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held on pursuance of its notification No. 100/CS-UP/1/73(1), dated the 20th November, 1973.

[No. 100/CS-UP/1/73(4)]

BY order,

V. NAGASUBRAMANIAM, Secy.

एस० प्रो० 702 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1/73 (1), तारीख 20 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1/73(4)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव।

New Delhi, the 20th November 1973

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri Satya Priya Singh, Officer on Special Duty, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/1/73(1), dated the 20th November, 1973, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-UP/1/73(5)]

BY order,

V. NAGASUBRAMANIAM, Secy.

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1973

एस० नो० 703 (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-उ० प्र०/1/73 (1) तारीख 20 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री सत्य प्रिय सिंह, विशेष कार्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/रा०स०-उ० प्र०/1/73(5)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।